

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.1(1)()स्था/आईसीडीएस/18/ 94166

आदेश

जयपुर, दिनांक

28-5-18

विभागीय आदेश क्रमांक 92394 दिनांक 25-5-2018 के क्रम संख्या 4 एवं 20 पर अंकित क्रमशः श्री नरेश कुमार मीणा, सहा. बाविपअ का परियोजना बांदीकुई द्वितीय (दौसा) से महुवा (दौसा) तथा श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, सहा. बाविपअ का परियोजना पिण्डवाडा (सिरोही) से परियोजना आबूरोड शहर (सिरोही) किया गया स्थानान्तरण एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।



निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ.1(1)()स्था/आईसीडीएस/18/ 94167-184

जयपुर, दिनांक

28-5-18

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर दौसा/सिरोही।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौसा/सिरोही।
5. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सिरोही/दौसा।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी बांदीकुई प्रथम/द्वितीय/महुवा (दौसा)/पिण्डवाडा/आबूरोड शहर (सिरोही)
7. श्री नरेश कुमार मीणा, बाल विकास परियोजना अधिकारी बांदीकुई प्रथम (दौसा)।
8. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी पिण्डवाडा (सिरोही) जयपुर।
9. व्यक्तिगत/आदेश पत्रावली



उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर